न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट मुख्यालय चौमूं)

मु.न. 05/2018

उनवान

1. नाथूराम पुत्र स्व. गंगाराम
2. भगवानसहाय पुत्र स्व. गंगाराम
3. सुरेश कुमार पुत्र स्व. बजरंगलाल
4. ताराचन्द पुत्र स्व. बजरंगलाल
5. मक्खनलाल पुत्र स्व. बजरंगलाल
6. रोशनलाल पुत्र स्व. गोविन्दराम
7. लक्ष्मीदेवी पत्नी स्व. हरिनारायण
8. रामावतार पुत्र स्व. गोविन्दराम
9. नरेन्द्र कुमार पुत्र स्व. गोविन्दराम
10. मोरध्वज पुत्र स्व. गोविन्दराम
11. केशरी देवी पत्नी गोविन्दराम
12. मंगली देवी पत्नी स्व. रामकुंवार
13. जीवणी पुत्री स्व. रामकुंवार
14. भागीरथ पुत्र स्व. रामकुंवार
15. श्रवणलाल पुत्र स्व. रामकुंवार
16. गोपाल पुत्र स्व. रामकुंवार
17. मोहन पुत्र स्व. रामकुंवार
18. राजू पुत्र रामकुंवार
19. शंकरलाल पुत्र धन्ना
20. नानूराम पुत्र धन्ना
21. गिरधारीलाल पुत्र धन्ना
22. चुन्नीलाल पुत्र धन्ना

समस्त जाति कुम्हार, निवासी ग्राम बगडी, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार महोदय, चौमूँ तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
2. मन्जू देवी पत्नी अजयकुमार शर्मा
3. सुशीला देवी पत्नी राजकुमार शर्मा
   समस्त जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम अमरपुरा, नारायण विहार, सांगानेर, जिला जयपुर (राज0)।
4. भागीरथ पुत्र पीथा
5. सांवरमल पुत्र पीथा
6. कैलाशचन्द पुत्र पीथा
7. सुरेशचन्द पुत्र पीथा
8. बजरंगलाल पुत्र पीथा

उप खण्ड अधिकारी
चौमू जिला-जयपुर

Scanned by CamScanner

9. मन्जू देवी पुत्री जगदीश
10. सुशीला देवी पुत्री जगदीश

समस्त जाति जांगिड ब्राह्मण, निवासी ग्राम बगडी, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

11. गुलाब देवी पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति जाट, निवासी ग्राम सरगोठ, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर
12. बोदूराम पुत्र धन्ना
13. नारायण पुत्र धन्ना
14. दीपाराम पुत्र धन्ना
15. सुरेन्द्र पुत्र धन्ना
16. श्योपाल पुत्र धन्ना

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम बगडी, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

17. बिदामी देवी पत्नी दानाराम जाट
18. हरफूल पुत्र दानाराम जाट
19. बलवीर पुत्र दानाराम जाट
20. सागर पुत्र दानाराम जाट
21. अर्जुनलाल पुत्र भूरामल जाट
22. छाजूराम पुत्र खेमा जाट
23. मुरली पुत्र खेमा जाट
24. बलवीर पुत्र खेमा जाट

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम बगडी, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर

25. भैंरूराम शर्मा पुत्र कल्याण सहाय शर्मा, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी नारायण विहार, अमरपुरा, तहसील सांगानेर, जिला–जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू0राजस्व अधि0 1956

निर्णय दिनांक 02.06.2018

पत्रावली कैम्प कोर्ट मुख्यालय चौमूं में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण ने प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट का पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम बगडी, पटवार हल्का नांगल गोविन्द, भू0अभि0नि0 क्षेत्र किशनपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में स्थित भूमि नया खाता संख्या 82 में वर्णित खसरा नम्बर 214 रकबा 5.72 हैक्टेयर, कुल किता 1 का कुल रकबा 5.72 हैक्टेयर में प्रार्थीगण संख्या 1 ता 22 की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं खाता संख्या 36 में वर्णित खसरा नम्बर 80 रकबा 0.94 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 64 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 65 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 66 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 67 रकबा 1.78 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 68 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 69 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 70/1 रकबा 1.0938 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 71/1 रकबा 0.0995 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 80/1 रकबा 0.5474 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 83/1 रकबा 0.0336 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 84/1 रकबा 0.0270 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 173 रकबा 0.66 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 174 रकबा 0.43 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 175 रकबा 0.44 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 176 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 177 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 178 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 179 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 180

उप खण्ड अधिकारी
चौमूं जिला–जयपुर

Scanned by CamScanner

रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 181 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 188 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 189 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 191 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 192 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 193 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 194 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 196 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 197 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 198 रकबा 0.59 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 199 रकबा 0.60 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 200 रकबा 0.53 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 202 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 212 रकबा 0.21 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण संख्या 1 ता 18 की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसका प्रार्थीगण उपयोग उपभोग लेकर लाभ उठाते आ रहे है।

वाके ग्राम बगडी, पटवार हल्का नांगल गोविन्द, भू0अभि0नि0 क्षेत्र किशनपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में स्थित भूमि नया खाता संख्या 82 में वर्णित खसरा नम्बर 214 रकबा 5.72 हैक्टेयर, कुल किता 1 का कुल रकबा 5.72 हैक्टेयर में प्रार्थीगण संख्या 1 ता 22 की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं खाता संख्या 36 में वर्णित खसरा नम्बर 80/1 रकबा 0.5474 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.5474 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण संख्या 1 ता 18 की है, के खाता संख्या 80 में भूमि अवाप्ति से खसरा नम्बर 80/2 रकबा 0.3926 गे0मु0 रेल मंत्रालय भारत सरकार के नाम नामान्तरण संख्या 426 से खातेदारी दर्ज हुई शेष खातेदारी खसरा नम्बर 80/1 रकबा 0.5474 हैक्टेयर की खातेदारी खसरा नम्बर 80/1 रकबा 0.5474 हैक्टेयर की खातेदारी संख्या 1 ता 18 की है।

बगडी, पटवार हल्का नांगलगोविन्द, भू0अभि0नि0 क्षेत्र किशनपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में भूमि खसरा नम्बर 215, 210, 296, 296/697, 213/684, 170/665, 172, 81 स्थित है। उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 2 ता 25 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर अप्रार्थीगण की उक्त खसरा नम्बर की भूमि स्थित है।

प्रार्थी की भूमि का सीमाज्ञान श्रीमान् तहसीलदार साहब, चौमूँ के आदेश क्रमांक भू0अ0/2017/4280 दिनांक 27.10.2017 की पालना में पटवारी हल्का नांगलगोविन्द द्वारा दिनांक 01.11.17 को ग्राम बगडी के आराजी खसरा नम्बर 80, 83 किता 2 का कुल रकबा 1.26 हैक्टेयर के सीमाज्ञान हेतु मौके पर पहुंचा। मौके पर प्रार्थी व पडौसी खातेदार उपस्थित मिले। मौके पर खसरा नम्बर 77 व 182 में स्थित गै0 मु0 चाह मुस्ताकिल का मिलान किया गया, जो मौके पर सही पाया गया तत्पश्चात् खसरा नम्बर 80 के उत्तरी पूर्वी व उत्तरी पश्चिमी व दक्षिणी पूर्वी व दक्षिणी पश्चिम कोना नाप कर निशान किया गया, जिसको खसरा नम्बर 182 व 177 में स्थित गै0 मु0 चाह है। मिलान किया गया, जो मौके पर सही पाया गया। खसरा नम्बर 83 रेलवे में जाने से सीमाज्ञान नही किया गया। इस प्रकार खसरा नम्बर 80 की समस्त सीमाओं का प्रार्थी को सीमाज्ञान करवाया गया। प्रार्थी द्वारा सीमाज्ञान सही होना स्वीकार किया गय। फर्द मौक उपस्थिति को पढकर सुनाई गई। हस्ताक्षर कराये गये एवं श्रीमान् तहसीलदार साहब, चौमू के आदेश क्रमांक भू0अ0/2017/4282 दिनांक 27.10.2017 की पालना में पटवारी हल्का नांगलगोविन्द द्वारा दिनांक 01.11.17 के अनुसार ग्राम बगडी के आराजी खसरा नम्बर 214 किता 1 का कुल रकबा 5.72 हैक्टेयर के सीमाज्ञान हेतु मौके पर पहुचां। मौके पर प्रार्थी व पडौसी खातेदार उपस्थित मिले। मौके पर खसरा नम्बर 207 व 297 में स्थित गै0मु0 चाह मुस्ताकिल को नापकर देखा गया जो मौके पर सही पाये गये। खसरा नम्बर

उप खण्ड अधिकारी
चौमू जिला–जयपुर

Scanned by CamScanner

297 में स्थित गै0मु0 चाह से खसरा नम्बर 214 का पूर्वी दक्षिणी कोना नाप कर कायम किया गया, जिसको खसरा नम्बर 207 में स्थित चाह से मिलान किया गया, मुताबिक छोर को नापकर निशान कायम किया गया तत्पश्चात् खसरा नम्बर 214 का उत्तरी पश्चिमी व उत्तरी पूर्वी कौने को नापकर कायम किया गया। जिसके खसरा नम्बर 182 व खसरा नम्बर 207 में स्थित गै0मु0 चाह से मिलान किया गया जो सही पाया गया। इस प्रकार खसरा नम्बर 214 की समस्त सीमाओं का सीमाज्ञान प्रार्थी को करवाया गया, प्रार्थी द्वारा सीमाज्ञान सही होना स्वीकार किया गया। फर्द मौका उपस्थित को पढकर सुनाई गई। हस्ताक्षर कराये गये। जिस सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी अपनी खसरा नम्बरों की भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहता है जिस हेतु न्यायालय श्रीमान् के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हुआ।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् जी से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात् वाके ग्राम बगडी, पटवार हल्का नांगलगाविन्द, भू0अभि0नि0 क्षेत्र किशनपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 214 रकबा 5.72 हैक्टेयर, कुल किता 1 का कुल रकबा 5.72 हैक्टेयर व खाता संख्या 36 में वर्णित खसरा नम्बर 80/1 रकबा 0.5474 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.94 हैक्टेयर की पत्थरगढी के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र पर पक्षकारों को सुना गया। पक्षकार उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी आवेदित आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार चौमू के आदेश से दिनांक 01.11.2017 को पटवारी हल्का द्वारा करवाया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थी का प्रा0पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रा0पत्र बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमू को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तथा मौक़े पर फसल न हो तो सीमाज्ञान दिनांक 01.11.2017 के अनुसार उभयपक्षकारों को सूचित करते हुये पत्थरगढी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02.06.2018 को मेरे द्वारा कैम्प कोर्ट मुख्यालय चौमूं में सुनाया गया।

(प्रियव्रत सिंह चारण)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जिला–जयपुर

Scanned by CamScanner